

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-
प्रेषक,

11/अ0प्र0-11-11/2025 5083(अनु०) पटना, दिनांक- 3/5/25

संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय:-

सात निश्चय एवं सात निश्चय-02 के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-3580 दिनांक-29.03.2025, पत्रांक-3316 दिनांक-21.03.2025, पत्रांक-2856 दिनांक-10.03.2025, पत्रांक-3220 दिनांक-19.03.2025 पत्रांक-4322 दिनांक-21.04.2025 एवं पत्रांक-4786 दिनांक-30.04.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सात निश्चय एवं सात निश्चय-02 के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-4786 दिनांक-30.04.2025 द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना अप्राप्त है। विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3301 दिनांक-25.02.2025 द्वारा प्राप्त विहित प्रपत्र के कंडिका-05 में वर्ष 2005 से अबतक राज्य सरकार के प्रत्येक कार्यालयों में नियमित नियुक्ति सहित संविदा एवं वाह्य स्त्रोत के माध्यम से नियोजित कर्मियों से संबंधित संख्यात्मक आकड़ों को एकत्रित कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए पुनः निदेशित/स्मारित किया जाता है कि अपने एवं अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/प्रमंडलों में पदस्थापित समूह 'घ' के कर्मियों से संबंधित सूचना उक्त विहित प्रपत्र के कंडिका-05 में सरकारी रोजगार सृजन प्रतिवेदन में आलोच्य अवधि (वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07..... 2024-25) दिनांक-01.04.2005 से अबतक का आकड़ा अद्यतन करते हुए विभाग को 02 कार्य दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। विफलता की स्थिति में विभागीय आदेश के अवहेलना मानी जायेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]

9/5/25
(संजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक- 3.5.25

ज्ञापांक:-11/अ0प्र0-11-11/2025 5083 (अनु०)

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

सरकार के अवर सचिव

(266)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—
प्रेषक,

11/अ0प्र0-11-11/2025

4786/25

पटना, दिनांक— 30.4.25

संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय:—

सात निश्चय एवं सात निश्चय-02 के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:—

विभागीय पत्रांक-3580 दिनांक-29.03.2025, पत्रांक-3316 दिनांक-21.03.2025, पत्रांक-2856 दिनांक-10.03.2025, पत्रांक-3220 दिनांक-19.03.2025 एवं पत्रांक-4322 दिनांक-21.04.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सात निश्चय एवं सात निश्चय-02 के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-4322 दिनांक-21.04.2025 द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना अप्राप्त है। विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3301 दिनांक-25.02.2025 द्वारा प्राप्त विहित प्रपत्र के कंडिका-05 में वर्ष 2005 से अबतक राज्य सरकार के प्रत्येक कार्यालयों में नियमित नियुक्ति सहित संविदा एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से नियोजित कर्मियों से संबंधित संख्यात्मक आकड़ों को एकत्रित कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए पुनः निदेशित/स्मारित किया जाता है कि अपने एवं अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/प्रमंडलों में पदस्थापित समूह 'घ' के कर्मियों से संबंधित सूचना उक्त विहित प्रपत्र के कंडिका-05 में सरकारी रोजगार सृजन प्रतिवेदन में आलोच्य अवधि (वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07..... 2024-25) दिनांक-01.04.2005 से अबतक का आकड़ा अद्यतन करते हुए विभाग को 02 कार्य दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। विफलता की स्थिति में विभागीय आदेश के अवहेलना मानी जायेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(Signature)

30/4/25
(संजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक— 30.4.25

ज्ञापांक:—11/अ0प्र0-11-11/2025 4786

प्रतिलिपि:— सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)

सरकार के अवर सचिव

दिनांक-07.02.2025 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सात निश्चय एवं सात निश्चय-2 के योजनाओं के संबंध में पाँच विभागों (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग - श्री रजनीश कुमार, संयुक्त सचिव (मो0 नं0-9473191473)।
2. पथ निर्माण विभाग - श्री सदन कुमार झा, अपर सचिव (मो0 नं0-8271781753)।
3. ग्रामीण कार्य विभाग - श्री राजीव रंजन पाण्डेय, उप सचिव (मो0 नं0-9931839166)।
4. अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग - श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव (मो0 नं0-9801598487)।
5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग - श्री संजय कुमार, उप सचिव, (मो0 नं0-8507464233)।
6. भवन निर्माण विभाग - अनुपस्थित

अनुपस्थित

सात निश्चय एवं सात निश्चय-2 के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवेदित आंकड़ों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सात निश्चय की योजनाओं के संदर्भ में चिन्हित विभागों (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के नॉडल पदाधिकारियों से संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विधि से प्रतिवेदित आंकड़ों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की गयी।

2. बैठक में विभिन्न प्रपत्रों एवं प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदन के प्रत्येक चरणों की विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ-ही निदेशित किया गया कि प्रत्येक विभाग अपने मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों (आयोग/निदेशालय/जिलास्तर के कार्यालयों/प्रखंड स्तर के कार्यालयों आदि) को चिन्हित कर पदवार स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत बल एवं रिक्त पदों की त्रुटिरहित सूचना पदवार/कार्यालयवार निम्न प्रपत्र में संधारित कर ऑनलाइन प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करे :-

अनुलग्नक संख्या-03 (क) (नियमित पदों के संदर्भ में)												
क्र0 सं0	विभाग/संलग्न क्षेत्रीय कार्यालय/निदेशालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल							रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित (सीपी) वर्गों/प्रजाति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने संबंधी विवरण
				नियमित			नियमित स्वीकृत बल के विरुद्ध संविदागत नियुक्ति			कुल कार्यरत महिलाओं		
				पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	(नियमित+संविदा) का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अनुलग्नक संख्या-03 (ख) (संविदागत पदों के संदर्भ में)							
क्र0 सं0	विभाग/संलग्न क्षेत्रीय कार्यालय/निदेशालय का नाम	पदनाम	संविदागत पद के विरुद्ध स्वीकृत बल	संविदागत पद के विरुद्ध कार्यरत बल			अनुसूचित (सीपी) वर्गों/प्रजाति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने संबंधी विवरण
				पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8

3. कंडिका-2 के आलोक में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्य प्रक्रियाधीन होने की अद्यतन स्थिति, यथा-रोस्टर क्लियरेंस/अधियाचना प्रेषित/विज्ञापन प्रकाशन/परीक्षा प्रारंभ/अंतिम रूप से अनुशंसा भेजने आदि की भी सूचना उपर्युक्त उपलब्ध कराये गये प्रपत्र की अभ्युक्ति में दर्ज किया जाय।

4. "आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार" के संबंध में निदेशित किया गया कि निम्नवत् प्रपत्र में आंकड़ों का संधारण किया जाय :-

दिनांक-20.01.2016 से अब तक									
"आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार" बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण									
क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	कुल अधियाचित पदों की संख्या (महिला+पुरुष)	महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल अनुशंसित पदों की संख्या (महिला+पुरुष)	महिलाओं के लिये अनुशंसित पदों की संख्या	नियुक्ति की वितरणी		अभ्युक्ति
							महिलाओं की संख्या	प्रतिशत (8/6)×100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. इसी प्रकार वर्ष 2005 से अब तक राज्य सरकार के प्रत्येक कार्यालयों में नियमित नियुक्ति सहित संविदा एवं बाह्यस्त्रोत के माध्यम से नियोजित कर्मियों से संबंधित संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उदाहरणस्वरूप आलोच्य अवधि वर्ष 2005 से 2006 के आंकड़े निम्नवत् प्रपत्र में संधारित किये जाने का निदेश दिया गया :-

सरकारी क्षेत्र रोजगार सृजन प्रतिवेदन															
क्र० सं०	विभाग का नाम	संवर्ग / संविदा का नाम	पदनाम	आरक्षण अवधि	नियमित नियुक्ति कर्मियों की संख्या			संविदा नियोजित कर्मियों की संख्या			बाह्यस्त्रोत (outsourcing) से नियोजित कर्मियों की संख्या			कुल (8+9+10)	अभ्युक्ति
					पुरुष	महिल	कुल	पुरुष	महिल	कुल	पुरुष	महिल	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2				01.04.2005 से 31.03.2006											
कुल (A)															
सकल कुल (A+B+.....+X+Y)															

6. इसके अतिरिक्त "सशक्त महिला, संक्षम महिला" के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में निम्नवत् प्रपत्र में सूचना संधारित कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :-

क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान (यथा अनु० पदा०, प्रखण्ड विकास पदा०, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि) के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन एवं उचित मागीदारी से संबंधित विवरणी								
क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यालय प्रधान का पदनाम	विभाग में पदों की कुल संख्या	उक्त पद पर कार्यरत पदाधिकारियों की कुल संख्या	उक्त पद पर कार्यरत महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या	मानक (35%) के अनुरूप महिला पदाधिकारियों के पदस्थापित नहीं होने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इसी क्रम में क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी की सूचना निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराने की जानकारी दी गयी :-

बिहार सरकार के क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी				
क्र० सं०	विभाग का नाम	क्षेत्रीय प्रशासन में कुल कार्यालयों की संख्या	कितने कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी मानक के अनुरूप है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

7. विदित हो कि वर्तमान में बिहार विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्न प्रपत्र में संबंधित सभी विभागों से मासिक प्रतिवेदन की अपेक्षा भी की जाती है ताकि प्राप्त सूचना को समेकित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु बिहार विकास मिशन को ससमय उपलब्ध कराया जा सके :-

प्रतिवेदित माह-															
विभाग का नाम		सात निश्चय-2 के पश्चात हुई नियुक्ति की विवरणी (वर्ष 2020 के बाद)													
पद		वाह्यस्त्रोत													
पदनाम		नियमित													
कुल स्वीकृत पद		संविदा													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वर्ष 2020 से पूर्व की नियुक्ति	शेष रिक्ति (1-2)	गत माह तक	वर्तमान माह	कुल (4+5)	गत माह तक	वर्तमान माह	कुल (7+8)	गत माह तक	वर्तमान माह	कुल (10+11)	नियुक्ति का कुल योग (6+9+12)	शेष रिक्तियाँ (कुल स्वीकृत पद-नियमित एवं संविदागत कुल नियुक्तियाँ)	स्वीकृत पद में विरुद्ध कुल नियुक्तियाँ (2-3+9)	वर्तमान माह उपलब्ध रिक्ति (1-15)	

8. अपर मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विभागों के स्तर से उपलब्ध कराये गये त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सूचना पर असंतोष व्यक्त करते हुए चिन्हित विभागों को उपर्युक्त प्रपत्रों में शुद्ध एवं वास्तविक आंकड़ों को MIS आधारित वेबपोर्टल (<http://wrmis.bihar.gov.in/nischay>) पर प्रतिवेदित करते हुए उसकी एक वेबप्रति 15 दिनों के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निर्धारित अवधि के उपरान्त संबंधित विभागों की पुनः एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा सके।

ह0/-
दिनांक-21.02.2025
(डॉ० बी० राजेन्द्र)
अपर मुख्य सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापक-23/सा0नि0यो0-11-01/2024, सा0प्र0 3301 / दिनांक 25/02/25
प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी (सात निश्चय एवं सात निश्चय-2) पथ निर्माण
विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य
अभियंत्रण विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापक:-1/अ0प्र0-01-05/2022 2400 / पटना, दिनांक: 28.2.25

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-4, 5, 6, 8, 11 एवं 12/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा एवं आई0टी0 मैनेजर,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्रों में वांछित सूचना दो दिन में उपलब्ध कराने की

कृपा की जाय।

अध्यक्ष/सचिव।

(कुमारी अनिल सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

सूची पूर्वांजली
रूपन।

28.2.25